उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

सोमवार, 19 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1936

(दिनांक : 09 जून, 2014)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. शुभारम्भ ''वन्दे मातरम्'' (देखिये नत्थी **"क"**)।
2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख"**)।
3. निधन के निदेश।
4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या-02 वर्ष 2014) को सदन के पटल पर रखेंगे।
5. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्या-03 वर्ष 2014) को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

   (1) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पहला अधिनियम बन गया।

   (2) उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का दूसरा अधिनियम बन गया।

   (3) उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का तीसरा अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 27 जनवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का चौथा अधिनियम बन गया।

(5) हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 17 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पॉचवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का छठ्वां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का सातवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 फरवरी, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का आठवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का नवां अधिनियम बन गया।

(10) भारतीय स्टाम्प (उत्तराखण्ड संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 12 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का दसवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का ग्यारवां अधिनियम बन गया।

(12) उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(13) उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(14) उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा विविध (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(15) उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 18 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(16) उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 को पारित किया गया था, पर महामहिम राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 मार्च, 2014 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2014 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

7. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

8. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा ''देहरादून पुराने बस अड्डा गांधी रोड की जमीन को सरकार के उपयोग में लिए जाने के सम्बन्ध में'' श्री दिलशाद कुरैशी निवासी इनामुल्ला बिल्डिंग, देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा ''जनपद देहरादून के गांधी नेत्र चिकित्सालय प्रीतम रोड़ (डालनवाला) के निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री महेश रावत, निवासी प्रीतम रोड (डालनवाला क्षेत्र) एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद पिथौरागढ़ में बेरीनाग-नरगोली-खातीगांव मोटर मार्ग के शेष 3.05 कि0मी0 में निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री लक्ष्मण सिंह रौतेला, निवासी ग्राम व पो0 नरगोली, जनपद-बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद-बागेश्वर कपकोट विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत राजकीय इण्टर कालेज देवतोली में रिक्त प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के पदों को भरे जाने के सम्बन्ध में'' श्री भगवत सिंह रौतेला, निवासी-ग्राम व पो0 नरगोली, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा ''देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जल संस्थान द्वारा की गयी खुदाई से अनेकों स्थानों पर पानी एवं सीवर लाईन आपस में मिल जाने के सम्बन्ध में'' श्री अशोक कुमार निवासी 106/3 मोहिनी रोड देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री राजकुमार, सदस्य, विधान सभा ''देहरादून नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत जे0एन0एन0यू0आर0एम0 द्वारा निर्मित ओवरहेड टैंक से पेयजल आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री अशोक कुमार, निवासी-संजय कालोनी देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

15. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

16. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

17. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

18. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अनर्हता निवारण) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।

19. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

20. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड राज्य विधान मण्डल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।

21. मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

22. मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।

23. संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

24. संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।

25. संसदीय कार्य मंत्री, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

26. संसदीय कार्य मंत्री, सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।

27. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"ग"**)

28. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

(समय : अपराह्न 4:00 बजे)।

29. वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2014-15 की प्रथम अनुपूरक अनुदान मांगें प्रस्तुत करेंगे।

30. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

गैरसैंण :
दिनांक : 08 जून, 2014

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

सोमवार, 19 ज्येष्ठ, शक संवत्, 1936

(दिनांक : 09 जून, 2014)

नत्थी ''ख''

तारांकित प्रश्न

श्री नवप्रभात
24.03.2014

*1. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में गैस (एल0पी0जी0) आधारित विद्युत परियोजनायें स्थापित की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी कितनी क्षमता की कौन कौन सी परियोजनायें स्थापित की गई हैं ? क्या उक्त विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन शुरू हो गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि सरकार द्वारा इन परियोजनाओं में उत्पादन शुरू कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ? — ऊर्जा

श्री नवप्रभात
24.03.2014

*2. **विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।**
क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में विभाग द्वारा प्रदेश में कितना धन सड़क निर्माण हेतु स्वीकृत किया गया तथा इस स्वीकृत धनराशि का विधान सभा वार विवरण क्या है ? — लोक निर्माण

श्री नवप्रभात
25.03.2014

*3. क्या उद्योग मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 2014 के द्वितीय सोमवार के तारा0 04 के उत्तर के क्रम में बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सिलीका खनिज विदोहन के लिए अनुमति दिये जाने के सिद्धान्त ''प्रथम आवत प्रथम पावत'' के स्थान पर नई नीति निर्धारण पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो नई नीति का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो राज्य के राजस्व की वृद्धि के लिए संशोधित नीति निर्धारण न किये जाने का क्या कारण है ? — उद्योग

श्री मालचन्द
04.04.2014

*4. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में सेबों की ग्रेडिंग के लिए बागवानी क्षेत्रों के केन्द्र बिन्दु पर ग्रेडिंग के लिए ग्रेडिंग प्लांट लगाने पर सरकार विचार करेगी तथा जिससे सेब बागवानों को मंडियों में उसकी अच्छी कीमत मिल सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? — उद्यान

श्री मालचन्द
04.04.2014

*5. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में बागवानों को कीट नाशक दवाईयां समय पर उपलब्ध नहीं होती है ? यदि हां, तो क्या रियायती दर पर दवाईयां समय पर उपलब्ध करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **उद्यान**

श्री बिशन सिंह चुफाल
26.05.2014

*6. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के गोरी नदी से लगे ग्राम कौली हुड़की, जुगदा, तितरी तथा दौड़ा ग्रामों में वर्ष 2013 में गोरी नदी से जो खेती योग्य भूमि कट गयी थी उन परिवारों को मुआवजा दिया गया है ? यदि हां, तो कुल कितने परिवारों को ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त ग्रामों को बचाव हेतु कोई तटबन्ध एवं सुरक्षा दीवार बनाई गयी है ? यदि हां, तो किन किन ग्रामों में ? यदि नहीं, तो क्यों ? **आपदा प्रबन्धन**

अतारांकित प्रश्न

श्री ललित फर्स्वाण
26.03.2014

1. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरगोली में गांव के चौरा गधेरे में स्कूली छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय आने जाने हेतु विगत कई वर्षों से पुल नहीं है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय प्राथमिक विद्यालय नरगोली व नरगोली गांव को जोड़ने हेतु चौरा गधेरे में पुल निर्माण कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री मालचन्द
27.03.2014

2. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटकों की सुविधा एवं पर्यटन विकास हेतु सांकरी से ओसला तक सड़क/हल्का वाहन मार्ग बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री मालचन्द
28.03.2014

3. क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सांकरी से तालुका स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण नहीं हो पाया है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि को गोविन्द वन्य जीव विहार द्वारा सड़क निर्माण हेतु हस्तान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री मालचन्द
28.03.2014

4. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत जखोल से लिवाडी फिताडी मोटर मार्ग बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री मालचन्द
28.03.2014

5. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सांकरी तालुका सड़क का चौड़ीकरण और तालुका से औसला सड़क का निर्माण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री मालचन्द
28.03.2014

6. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के जरमोला नौरी ब्याली खिमोत्रा बडियार वन मोटर मार्ग का स्थानान्तरण के प्रस्ताव को वन विभाग को भेजा गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री मालचन्द
28.03.2014

7. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित मोटर मार्ग ए0डी0पी को किन कारणों द्वारा दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री नवप्रभात
28.03.2014

8. **द्वितीय सोमवार के अता0 01 में स्थाना0**
क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के बाडवाला जुड्डो मार्ग वर्ष 2013 में आपदा प्रभावित था ? यदि हां, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा इस मार्ग की मरम्मत के लिए कितनी धनराशि का आगणन विरचित कर प्रस्तुत किया गया ? यदि हां, तो क्या इस आगणन की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो स्वीकृति प्रदान न करने का क्या कारण है ? **आपदा प्रबन्धन**

श्री ललित फर्स्वाण
26.03.2014

9. क्या आपदा प्रबन्धन मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत पड़ियार गधेरे में सुरक्षा दीवार न होने से पंचायत घर एवं रा0प्रा0वि0ठंगा तथा आवासीय मकानों को खतरा बना हुआ है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत हैं कि पूर्व में भी पड़ियार गधेरे में सुरक्षा दीवार बनवाने हेतु क्षेत्रवासियों द्वारा आग्रह किया गया है ? यदि हां, तो कब तक पड़ियार गधेरे में सुरक्षा दीवार का निर्माण किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? **आपदा प्रबन्धन**

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
23.05.2014

10. क्या मुख्यमंत्री अवगत हैं कि कृषि मंत्री द्वारा 07.01.2013 को मा0 मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में जनपद अल्मोड़ा के विकास खण्ड स्याल्दे में जनहित में घोषणायें की गई थीं ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उनके द्वारा कितने समय में घोषित कार्यों के पूरा होने का वादा जनता को किया गया था ? क्या उनके द्वारा की गई घोषणाओं के शासनादेश कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? **मुख्यमंत्री कार्यालय**

श्री नवप्रभात
03.04.2014

11. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कांट्रेक्ट फार्मिंग की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इस विषय में क्या नीति निर्धारित की गयी है ? **कृषि**

श्री मालचन्द
04.04.2014

12. क्या ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत आज भी बिजली न पहुंचने के कारण जनता आज भी अन्धकार में रहने के लिए विवश है ? यदि हां, तो क्या सरकार लिवाड़ी, फिताडी, कासला, रैक्वा, सावडी, तालुका, ढाटमीर, सेवा, बरी, खन्ना, मसरी, ओसला, गंगाड, पावणी, भितरी, खन्यासणी, पुजेली, सट्टा धौला, थुनारा डामटी विकास खण्ड पुरोला के बडियार पट्टी के सर बडियार पौटी छानिका, लेपटाडी, कसलाव, किमडार, पौटी आदि गांवों का विद्युतीकरण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **ऊर्जा**

श्री मालचन्द
04.04.2014

13. क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के बागवानी के क्षेत्र के केन्द्र बिन्दु में अभिशीलन भण्डार बनाने पर सरकार विचार करेगी ? **उद्यान**

श्री नवप्रभात
07.04.2014

14. क्या अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति (स्कूली शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा को सम्मिलित करते हुए) का विवरण क्या है तथा इस छात्रवृत्ति में केन्द्रांश तथा राज्यांश का प्रतिशत कितना है ? क्या वर्तमान शिक्षा सत्र तक छात्रवृत्ति का भुगतान छात्रों को किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ? **अल्पसंख्यक कल्याण**

श्री मालचन्द
07.04.2014

15. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत सरकार भाटिया से बौख टिब्बा, पोरा से गुन्दियाटगांव, कुवा से छुडी तेडा, चामी से फवाणगांव, मोलागांव से नौगांव गोउर ढुकरा, सिमलसारी से दारसों छमरोटा से भंकोली मोटर मार्ग, कण्डाउ रस्टाडी मोटर मार्ग, कन्सोला से सुनारा छानी, साडा से थली मोटर मार्ग खान्सी से द्रोणी कन्ताडी मोटर मार्ग तक की सड़कों का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री मालचन्द
07.04.2014

16. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत कुड कोटला में पूर्व में स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक पूर्ण होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री मालचन्द
07.04.2014

17. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के अन्तर्गत आराकोट थुनारा सड़क बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री नवप्रभात
10.04.2014

18. क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर में रूद्रपुर कृषि मण्डी समिति को उपलब्ध करायी गयी 50 एकड़ भूमि का समिति द्वारा क्या उपयोग प्रस्तावित है ? क्या प्रस्ताव अनुसार उपयोग के लिए समिति के पास संसाधन उपलब्ध है ? यदि हां, तो क्या समिति ने प्रस्तावित उपयोग प्रारम्भ कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार भूमि का अन्यत्र सदुपयोग करने पर विचार कर रही है ? **कृषि**

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
06.05.2014

19. क्या ऊर्जा मंत्री अवगत हैं कि अल्मोड़ा जिले में ताड़ीखेत से भिक्यासैण, सल्ट, स्याल्दे, मानिला के विद्युत उपकेन्द्रों को जोड़ने वाली मुख्य विद्युत लाईन आंधी या बर्फ गिरने के कारण अधिकांशतः ताड़ीखेत के पास से टूट जाती है और तीनों विकास खण्डों में कई दिनों तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहने के साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा पम्पिंग पेयजल योजनायें भी प्रभावित हो जाती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में शीघ्र इसे रोकने हेतु कोई प्रयास करेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **ऊर्जा**

श्री महावीर सिंह रांगड़
26.05.2014

20. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत मा0 मुख्य मंत्री जी ने 19 फरवरी, 2014 को निम्नलिखित मोटर मार्गों के नवनिर्माण/विस्तारीकरण/डामरीकरण की स्वीकृति प्रदान की थी ? यदि हां, तो मण्डखाल–गैर–नगुण लालूरी–कोटी मेहरू दुधली–डिबोगी, भवान–साटागाड, रत्वाडी–कमान्द–ज्वारना मोटर मार्ग का डामरीकरण एवं ढाणा से लगड़ासू पापरा से औड़ार्सू थपला से सूरीधार दुडगा पुल–शीर्ष–मंगलोडी मोटर मार्ग के अवशेष भाग का नवनिर्माण किन्तु अभी तक शासनादेश जारी नहीं हुआ है तथा इनके शासनादेश कब तक जारी किये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री महावीर सिंह रांगड़
26.05.2014

21. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत सरतली–घण्डियाला मोटर मार्ग के नवनिर्माण पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

श्री महावीर सिंह रांगड़
26.05.2014

22. क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत बी0बी0 रोड के कि0मी0 79 स्थान जाखधार में बरसात के समय हर वर्ष भूस्खलन होने के कारण मार्ग पूर्णतया ध्वस्त हो जाता है जिस कारण लगभग महीनों तक आवागमन बन्द रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर वैकल्पिक मार्ग बनाने हेतु विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? **लोक निर्माण**

नत्थी–"ग"

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 06 जून, 2014 की बैठक में दिनांक 09 जून, 2014 से 11 जून, 2014 तक के कार्यक्रम निम्न लिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:-

जून 2014

09 सोमवार	1.	औपचारिक कार्य।
	2.	अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखा जाना।
	3.	अनुपूरक मांगों का प्रस्तुतिकरण (04:00 बजे अपराह्न)
10 मंगलवार	1.	विधायी कार्य।
	2.	अनुपूरक अनुदान मांगों पर चर्चा एवं मतदन।
11 बुधवार	1.	विधायी कार्य (आधा दिवस)।
	2.	असरकारी कार्य।

निम्नलिखित असरकारी संकल्पों का प्रस्तुतिकरण एवं चर्चा:-

1. श्री नवप्रभात, "सदन भारत सरकार से निवेदन करता है कि गंगा नदी के जल की स्वच्छता अभियान" की भांति "यमुना स्वच्छता अभियान" स्वीकृत किया जाय। इस अभियान के कियान्वयन के लिये "गंगा विकास प्राधिकरण" की भांति "यमुना विकास प्राधिकरण" का गठन भी किया जाय।

2. श्री मदन कौशिक, "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि राज्य के पर्यावरण को स्वच्छ रखने एवं प्रदूषण को समाप्त करने के लिये एक स्पष्ट नीति बनायी जाय।

नीति में राज्य के अधिकार के बाहर के विषयों को सदन के माध्यम से भारत सरकार को भेजा जाय तथा भारत सरकार से अनुरोध किया जाय कि राज्य हित में इन विषयों को तत्काल लागू करें।"

3. श्री भीम लाल आर्य "इस सदन का सुनिश्चित मत है कि जनपद टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) में स्थित प्रसिद्ध टिहरी बांध के ऊपर आम जनता को आवागम की सुविधा प्रदान किये जाने हेतु समुचित कार्यवाही की जाय"

इस स्थिति में राज्य में निजी क्षेत्र में चिकित्सा सुविधा का विकास जनहित में आवश्यक है। निजी क्षेत्र की भागीदारी इस नियमावली पर ही आधारित होगी।

यह नियमावली केन्द्र सरकार के अधिनियम 2010 पर आधारित हैं। उत्तराखण्ड के विशेष भौगोलिक तथा अवस्थापना स्थितियों के अनुरूप इसे संशोधित तथा परिवर्तित नही किया गया है।

इण्डियन मेडिकल ऐशोसियेशन **U.A. State Branch** ने इस नियमावली पर अपने सुझाव शासन के समक्ष प्रस्तुत किये है, परन्तु अभी तक समस्या के निदान के लिये कार्यवाही नही हो सकी है।''

6. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः- **(15 मिनट)**

''विधान सभा क्षेत्र धारचूला के अन्तर्गत कम ऊँचाई के क्षेत्र में मृग विहार बनने से ठप्प हो रहे विकास कार्य के दृष्टिगत मृग विहार बनाने के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाय''

7. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

''जनपद देहरादून के पछवादून क्षेत्र की नदियों में चुगान का कार्य जो गढ़वाल मण्डल विकास निगम तथा वन विकास निगम द्वारा किया जा रहा था, के तीन वर्षो से पूर्णतया बन्द होने के कारण निर्माण सामग्री की लागत बढ़ जाने, सरकारी निर्माण कार्य बाधित होने तथा राजस्व की हानि होने के संबंध में।''

8. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा हेतुः- **(15 मिनट)**

''प्रदेश में ऊर्जा की कमी को देखते हुए राज्य में ऊर्जा आधारित विकास की सम्भावनाओं पर विचार हेतु एक समिति बनायी जाय जो सरकार को एक निश्चित समय में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत करेगी।''

9. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः- **(15 मिनट)**

''उत्तराखण्ड राज्य में उपलब्ध भूमि की सीमित सीमा को देखते हुये कृषि भूमि का अनियंत्रित आवासीय प्रयोग रोकने हेतु प्रदेश में आवासीय सुविधाओं के विकास के लिए एक समग्र नीति निर्धारित करने तथा उत्तराखण्ड में भूकम्प की दृष्टि से बहुमंजिला भवन निर्माण की नीति निर्धारण करने।''

10. श्री हरीश धामी, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत 20 फरवरी, 2014 नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः- **(15 मिनट)**

"उत्तराखण्ड राज्य के गठन के समय राज्य में 95 विकास खण्ड ईकाई गठित थी। आज भी इनकी संख्या 95 ही है।

राज्य गठन के पश्चात् ग्राम सभाओं का लगातार पुनर्गठन किया गया है तथा ग्राम सभाओं की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य गठन के पश्चात् नवीन तहसील स्थापित करने का कार्य भी हुआ है। नये राज्य में विधान सभा क्षेत्र भी बढ़ कर 70 हो गये हैं।

इन परिवर्तनों के कारण एक विकास खण्ड एक से अधिक विधान सभा क्षेत्रों में विभाजित हो गया है, जिससे नियोजन एवं विकास के कार्यों में भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं। एक विकास खण्ड के एक से अधिक तहसीलों में विभाजित होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से भी भ्रान्तियां उत्पन्न हो रही हैं।

विकास की मूलभूत ईकाई विकास खण्ड के पुनर्गठन का कार्य न होने के कारण छोटे राज्य के निर्माण के मूल लक्ष्य, विकास से सुदूर क्षेत्र का नजदीकी सम्बन्ध की अवधारणा पूरी नहीं हो पा रही है।

शासन स्तर पर विकास खण्ड पुनर्गठन के विषय को यह कहकर लम्बित रखा जा रही है कि योजना आयोग भारत सरकार इसके लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करा रहा है तथा राज्य सरकार द्वारा "जल समेट क्षेत्र पर आधारित विकास खण्ड पुनर्गठन का प्रस्ताव योजना आयोग या वित्त आयोग या केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने सम्बन्धी।"

11. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम 54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चाः- **(15 मिनट)**

"जनपद देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण गठित है। इसके अधिकार क्षेत्र में देहरादून शहर, मसूरी शहर तथा जनपद देहरादून की कुछ ग्राम सभायें आती हैं।

वर्तमान में प्राधिकरण द्वारा महायोजना 2005-25 घोषित तथा लागू की जा चुकी है। वर्ष 1980 में अपने गठन के पश्वात् प्राधिकरण नई महायोजनायें घोषित तथा लागू कर चुका है।

पूर्व में घोषित महायोजनाओं तथा महायोजना 2005-2025 में प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में अधिसूचित निम्न क्षेत्रों के लिए महायोजना का गठन नहीं किया गया हैः-

1. मसूरी नगरपालिका क्षेत्र, 2. बकारना, 3. रिखोली, 4. क्यारकुली भट्टा, 5. चामासारी, 6. नाली, 7. कार्लीगाड, 8. सरोना, 9. चौकी, 10. खाराखेत, 11. बिधौली, 12. मिस्सरास पट्टी, 13. मितरली, 14, मझाड़ा, 15. मोहम्मदपुर बडकली, 16. फान्दूवाला, 17. दूधली, 18. किशनपुर, 19. नागल, 20. नागल ज्वालापुर, 21. सिमलास ग्रांट।

उपरोक्त शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी महायोजना बनाने का कार्य शुरू ही नहीं किया गया है। महायोजना न होने के कारण इन 20 ग्रामों का विकास बाधित है।

मसूरी नगर पालिका क्षेत्र के बिना महायोजना के प्राधिकरण द्वारा नक्शे पास किये गये हैं तथा किये जा रहे हैं, जिससे मसूरी शहर का अनियोजित विकास हो रहा है।

प्राधिकरण ने अपने गटन से आज तक अपने अधिकार क्षेत्र के इतने बड़े भाग की महायोजना क्यों गठित नहीं की, यह अत्यधिक जनमहत्व का प्रश्न है।

अधूरे क्षेत्र की महायोजना का घोषित किया जाना,जोनल प्लान का न बनना, सैक्टर प्लान का न बनना, घोषित महायोजना की वैधानिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।

जो महायोजना घोषित की भी गयी है, उसका स्थलीय भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है परिणामस्वरूप घोषित भू उपयोग तथा वास्तविक स्थलीय स्थिति में गम्भीर विरोधाभास महायोजना को अव्यवहारिक बनाते हैं।

महायोजना 2005-25 में राज्य सरकार द्वारा पूर्व में घोषित या पूर्व की महायोजनाओं में घोषित भू उपयोगों में मनमाने परिवर्तन सम्बधी।''

12. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 फरवरी, 2014 प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर, चर्चाः-**(15 मिनट)**

''उत्तराखण्ड राज्य में ''ईको सेंसटिव जोन'' को परिभाषित कर राज्य के विकास तथा आर्थिक हितों की रक्षा करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा करने की नीति बनाये जाने की घोषणा की जायें।''

1. श्री मदन कौशिक, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में घरेलू गैस की आपूर्ति में आ रही कठिनाई के कारण प्रदेश की जनता को हो रही परेशानी को दूर करने के लिए एक पारदर्शी नीति बनाई जाय।"

2. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत निम्नलिखित असरकारी संकल्प पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"इस माननीय सदन की सर्व सम्मत राय है कि राज्य सरकार द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत गैरसैंण (चन्द्रनगर) में उत्तराखण्ड विधान सभा का ग्रीष्मकालीन सत्र प्रतिवर्ष आयोजित किये जाने के निर्णय के दृष्टिगत प्रदेश की वर्तमान अस्थाई राजधानी देहरादून को राजधानी क्षेत्र की सभी सुविधाओं से परिपूर्ण होने के आधार पर स्थाई राजधानी घोषित किया जाय।"

3. श्री हरिदास, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम- 105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"उत्तराखण्ड सरकार द्वारा राज्य में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत बैकलाग के पदों पर भर्ती प्रकिया आरम्भ करने हेतु तत्काल अधिनियम बनाकर पारित किया जाय।"

4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2012 को प्रस्तुत नियम-105 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"यह माननीय सदन केन्द्र सरकार से संस्तुति करता है कि उत्तराखण्ड राज्य को ग्रीन बोनस दिया जाय।"

5. श्री नवप्रभात, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रस्तुत नियम-54 की निम्नलिखित सूचना पर चर्चा :- **(15 मिनट)**

"दिनांक 22.03.2013 से राज्य में उत्तराखण्ड नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियमावली वर्ष 2013 लागू हो गयी है।
उत्तराखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाओं की स्थिति अभी भी बहुत संतोषजनक नही है विशेषकर सदूर पर्वतीय क्षेत्रों में तो चिकित्सा सुविधा का लगभग अभाव हैं।
राज्य सरकार को चिकित्सा सुविधा विशेषकर सुपर स्पेशिलिटी के क्षेत्र में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
हमारे राज्य के निवासियों को सस्ती दरों पर चिकित्सा सुविधा की आवश्यकता है, परन्तु इस नियमावली के प्रावधानों से चिकित्सा सुविधा का खर्च बहुत अधिक बढ़ता हुआ प्रतीत होता है।